OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

No: /Sveep.Activi Elec-2023/1AE- 4804 दिनांक 5/X/23

सेवा में,

महानिदेशक,
महिला एंव बाल विकास विभाग हरियाणा

विषयः– Special Summary Revision 2024-SVEEP activities reg.

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपको सूचित करने के निर्देश हुए है कि वर्ष 2024 में आम लोकसभा चुनाव 2024 घोषित होने वाले है। मतदान हेतू मतदाता सूची में सभी पात्र व्यक्तियों का नाम होना आवश्यक है।

इसलिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची में नाम जुडवाने हेतू Special Summary Revision-2024, दिनांक 27.10.2023 से 5.01.2024 तक घोषित किया है जिसमें 27.10.2023 से 9.12.2023 तक मतदाता पंजीकरण, शुद्धिकरण तथा नाम कटवाने का कार्य किया जाएगा।

अतः अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियो के नाम जुडवाने हेतू इस कार्यालय द्वारा डिजिटल चयनित मतदाताओं में से तीन मतदाताओं को लैपटाप 2 मतदाताओं को स्मार्ट फोन तथा 100 मतदाताओं को पैनड्राईव (18 से 19 वर्ष नवयुवक तथा महिला मतदाताओं) को देने का निर्णय लिया है। जिसका विज्ञापन साथ संलगित हैं।

4597/SWS
10/11/23

अतः आपसे अनुरोध है कि आप संलगित विज्ञापन को अपने कार्यालय के Website पर display करवाने का कष्ट करें तथा अपने अधीन कार्यरत सभी आगनवाडी वर्कस को आदेश देवे कि वे घर–2 जाकर प्रचार करें व जागरूक करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वोट बनवाने से वंचित न रहे सकें।

भवदीय

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।

16/XI/23

CO II

Office: 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh - 160017 (India) Tel. 0172-2701200, [illegible]